डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मेड़ता व इजलास श्री हीरालाल मीना आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 03 / 2019

वादी :– लालाराम पुत्र श्री दीनाराम जाति मेघवाल, निवासी सूरसागर जोधपुर, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर।।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तुलछाई पत्नी श्री पुरखाराज, जाति मेहतर
2. पुरखाराम पुत्र श्री रामचन्द, जाति मेहतर
3. लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री जयनारायण, जाति बलाई
   निवासीगण मेड़तारोड, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
4. कमलादेवी पत्नी श्री जीवणराम, जाति मेघवाल, निवासी खेड़ूली तहसील मेड़ता, जिला नागौर
5. सायरीदेवी पत्नी श्री सुखाराम, जाति मेघवाल, निवासी कुम्पड़ास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
6. तहसीलदार मेड़ता।

<u>दावा बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u> **दिनांक :– 22.02.2019**

वाद वास्ते बंटवाड़ा, मुकदमा नम्बर 03 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व वकील प्रतिवादीगण मिनजानिम मुदयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व माफिक राजीनामा डिगरी दी जाती है कि **वादी लालाराम के बंट में** :– मौजा फलौदी की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 164 रकबा 1.2100 हैक्टेयर में से रकबा 0.33 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शा में मार्क ए व रकबा 0.1725 हैक्टेयर पूर्वी नजरी नक्शा में मार्क बी कुल रकबा 0.5025 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 165 रकबा 2.79 हैक्टेयर में से रकबा 0.56 हैक्टेयर दक्षिणी–पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शा में मार्क डी व रकबा 0.10 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी नजरी नक्शा मार्क सी कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। **वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बंट में** :– ग्राम फलौदी की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 164 रकबा 1.2100 हैक्टेयर का बकाया रकबा 0.7075 हैक्टेयर जिसमें वादी लालाराम का रकबा 0.6575 हैक्टेयर का रहेगा व बकाया प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मीदेवी का रकबा 250 वर्गमीटर व प्रतिवादी संख्या 4 कमलादेवी का रकबा 250 वर्गमीटर वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार यथावत खातेदारी में रहेगा व खसरा नम्बर 165 रकबा 2.7900 हैक्टेयर का बकाया रकबा 2.13 हैक्टेयर में से वादी लालाराम का बकाया रकबा यथावत रहेगा तथा प्रतिवादी संख्या 1 तुलछाई, प्रतिवादी संख्या 2 परखाराम व प्रतिवादी संख्या 5 सायरी का रकबा वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार यथावत रहेगा। साथ में प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग होगा।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner